



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 19, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1658/सत्रह-वि-1-1(क)-19-2002

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 4 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में,-

(क) 'सुविधा' का तात्पर्य सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा-करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण से तथा ऐसे अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(ग) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) 'ताज आर्थिक परिक्षेत्र' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है ;

(ङ) 'अध्यासी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके अध्यासन में ताज आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं ;

(च) 'अन्तरिती' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं ;

(छ) 'अवसंरचनात्मक सुविधायें' के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात् :-

(एक) विद्युत का उत्पादन और प्रदाय ;

(दो) जल निष्कासन, शोधन और वितरण ;

(तीन) अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ;

(चार) सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली ;

(पांच) विमानपत्तन और रेल प्रणाली ;

(छ) सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु ; और

(सात) समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(ज) शब्द और पदावली 'भवन', 'विकास', 'भवन का परिनिर्माण' और 'भूमि' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

प्राधिकरण का गठन

3-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे 'ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

अध्यक्ष

(ख) नागरिक उड्डयन विभाग में राज्य सरकार का सचिव

उपाध्यक्ष

(ग) कृषि उत्पादन आयुक्त

सदस्य

(घ) औद्योगिक विकास आयुक्त

सदस्य

(ङ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(च) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(छ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(ज) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(झ) कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(ञ) लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(ट) नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(ठ) आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव

सदस्य

(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य
(ण) मुख्य विनिवेश आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(त) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य-सचिव

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'सचिव' का तात्पर्य, जहां विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहां पर 'प्रमुख सचिव' से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण, में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

4-(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

5-(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाय, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों और उनकी श्रेणी और पदनाम अवधारित कर सकता है। प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

6-(1) प्राधिकरण का कृत्य ताज आर्थिक परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा। प्राधिकरण के कृत्य

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ताज आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना ;

(ख) ताज आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना ;

(ग) तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना की, जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजना में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;

(घ) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो ;

(ङ) सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित ताज आर्थिक परिक्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए, उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना ;

(च) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(छ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना ;

(ज) उस प्रयोजन को, अर्थात् औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को, निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा ;

(झ) सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(ज) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

(ट) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबन्ध और अवसंरचनात्मक सुविधा का अनुरक्षण करना ;

(ड) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना ; और

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति

7-प्राधिकरण, ताज आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

8-(1) ताज आर्थिक परिक्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे,-

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप ;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण ;

(ग) भवनों में और उनके आस-पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊँचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें ;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या ;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन ;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्यकीय निर्माण की ऊँचाई और स्थिति का अनुरक्षण ;

(छ) सुविधाओं का अनुरक्षण ;

(ज) जिस प्रयोजन के लिए स्थल आवंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन ;

(झ) (एक) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी ;

(दो) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण ; और

(तीन) नगर के कूड़ा-करकट के समुचित निस्तारण, हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथाशक्यशीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा, जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक हों।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

9-(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके ताज आर्थिक परिक्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

(2) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) किसी भवन की वाह्य और विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति ;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ, उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊँचाई और ढाल ;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोकथाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊँचाई ;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिए आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था ;

(ज) भवनों के परिनिर्माण, पूरा करने और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय ; और

(झ) प्रमाण-पत्र, जो योजना, संशोधित योजना और योजना पूरा करने से सम्बन्धित आख्या को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और आनुषंगिक हो।

10-यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से ताज आर्थिक परिक्षेत्र के किसी भाग के समुचित नियोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही और उपाय ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही या उपाय करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण स्वयं ऐसी कार्यवाही या उपाय कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

11-(1) ताज आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कर का उद्ग्रहण

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है :-

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि ;

या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि ;

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार, लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

12-(1) प्राधिकरण अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबन्ध

(2) जहां कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहां प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता-प्रभार की दरें नियत की जाएंगी, यहां तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किये गये पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती-कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता-प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(1) पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है ;

(2) पद 'उत्तरवर्ती-कर प्रत्यागम' का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात् उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

13-उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे ; कि-

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

14-जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल-धन या उसकी किस्त या प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकरण को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई चूक करता है या जहां कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई चूक करता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जाएगी।

अन्तरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए समपहरण

15-(1) प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल-धन या उसकी किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन का पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है;

(2) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधियाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

शास्ति

16-कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, और सतत् अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डित किया जायगा जो प्रथम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

प्रवेश आदि की शक्ति

17-मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है :-

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल लेने के लिए ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण करने या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाने के लिए ;

(ग) इस बात का पता लगाने के लिए कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेने और कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ;

(घ) कोई अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो :

परन्तु,—

(एक) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय, और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना, नहीं किया जाएगा;

(दो) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा; और

(तीन) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो, उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक ध्यान रखा जाएगा जहाँ तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिए प्रवेश किया जाता है।

18—किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन ताज आर्थिक परिक्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जाएगा।

अधिनियम का अभिभावी प्रभाव

19—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

20—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्य-कलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिए समय और स्थान, बैठक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जानी वाली फीस;

(च) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले प्रभार;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सन्. 2002

21—(1) उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

मंत्रि-परिषद् की आर्थिक विकास समिति की सिफारिश पर राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने की दृष्टि से ताज आर्थिक परिक्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

No. 1658(2)/XVII-V-1-1 (KA) 19/2002

Dated Lucknow, September 10, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Taj Arthik Parikshetra Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2002, Uttar Pradesh Ahhiniyam Sankhya 13 of 2002, as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 2002:—

THE UTTAR PRADESH TAJ ECONOMIC ZONE DEVELOPMENT AUTHORITY
ACT, 2002

(U.P. Act no. 13 of 2002)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban economic zone and for the matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Taj Economic Zone Development Authority Act, 2002.

Definitions

(2) It shall be deemed to have come into force on July 4, 2002.

2. In this Act,—

(a) "amenities" means basic and essential services such as roads, water supply, street lighting and power supply, sewerage, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste and town refuse and such other community facilities, services or conveniences as the State Government may, by notification, specify to be an amenity for the purposes of this Act;

(b) "Authority" means the Authority constituted under section 3;

(c) "Chief Executive Officer" means the officer appointed as such under section 4;

(d) "Taj Economic Zone" means the area declared as such by the State Government by notification;

(e) "occupier" means a person who occupies a site or building within the Taj Economic Zone and includes his successors and assigns;

(f) "transferee" means a person to whom any land or building is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successors and assigns;

(g) "infrastructural facilities" includes the following specialized services, namely:—

(i) generation and supply of electricity ;

- (ii) water extraction, treatment and distribution ;
 (iii) waste water treatment and solid waste management ;
 (iv) sanitation and sewerage system ;
 (v) airport and rail system ;
 (vi) roads, bridges, over-bridges ; and
 (vii) any other public facility of similar nature as may be notified by the Government; and

(h) the words and expressions "building", "development", "to erect a building" and "land" shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

3.(1) The State Government may, by notification constitute, for the purposes of this Act, an Authority to be called the "Taj Economic Zone Development Authority".

Constitution of the Authority

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The Authority shall consist of the following :—

- | | |
|---|-------------------------|
| (a) the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh | <i>Chairman</i> |
| (b) the Secretary to the State Government in the Civil Aviation Department | <i>Vice-Chairman</i> |
| (c) the Agricultural Production Commissioner | <i>Member</i> |
| (d) Industrial Development Commissioner | <i>Member</i> |
| (e) the Secretary to the State Government in the Finance Department | <i>Member</i> |
| (f) the Secretary to the State Government in the Industrial Development Department | <i>Member</i> |
| (g) the Secretary to the State Government in the Agriculture Department | <i>Member</i> |
| (h) the Secretary to the State Government in the Food Processing Industry Department | <i>Member</i> |
| (i) Secretary to State Government in the Agricultural Industry and Agricultural Export Promotion Department | <i>Member</i> |
| (j) the Secretary to the Government in the Small Scale Industries Department | <i>Member</i> |
| (k) the Secretary to the Government in the Planning Department | <i>Member</i> |
| (l) the Secretary to the State Government in the Housing Department | <i>Member</i> |
| (m) the Chief Executive Officer, Noida | <i>Member</i> |
| (n) the Chief Executive Officer, Greater Noida | <i>Member</i> |
| (o) the Chief Disinvestment Commissioner | <i>Member</i> |
| (p) the Chief Executive Officer | <i>Member-Secretary</i> |

Explanation:— For the purposes of this sub-section, the expression "the Secretary", where there is a Principal Secretary in the Department, shall mean "the Principal Secretary."

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the State Government.

(5) the procedure to the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or proceeding of the Authority shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof.

और
के

रन्त
थेक

the
Taj
as

n
d

r
r
r

r

t

Chief Executive
Officer

4.(1) The Chief Executive Officer of the Authority shall be appointed by the State Government and he shall be a whole-time officer of the Authority.

(2) the Chief Executive Officer shall be entitled to receive, from the funds of the Authority, such salary and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by a general order of the State Government in this behalf.

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the regulations or as may be delegated to him by the Authority.

Staff of the
Authority

5.(1) Subject to such control and restrictions as may be determined by a general or special order of the State Government, the Authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the performance of its functions, and may determine their grades and designations.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) the officers and employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of service as may be determined by the Authority.

Functions of the
Authority

6.(1) The function of the Authority shall be to secure the planned development of the Taj Economic Zone.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Authority shall perform the following functions:-

(a) to acquire land in the Taj Economic Zone, by agreement or through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the purpose of this Act;

(b) to prepare a plan for the development of the Taj Economic Zone;

(c) to prepare Techno-Economic Feasibility Report or as the case may be, detailed project report for any project considered to be necessary for the development of the Zone and take measures to invite private investments for such project and ensure its implementation;

(d) to co-ordinate with other departments and ensure timely implementation of projects and plans prepared by it;

(e) to enter into suitable joint venture arrangement for development of different components of Taj Economic Zone including subsequent transfer of ownership of the project to the joint venture partner;

(f) to demarcate and develop sites for industrial, commercial and residential purposes according to the plan;

(g) to provide infrastructure for industrial, commercial and residential purposes;

(h) to lay down the purpose for which a particular site or plot of land shall be used, namely, for industrial, commercial or residential purpose or for any other specified purpose;

(i) to provide amenities;

(j) to allocate and transfer either by way of sale or lease or otherwise plots of land for industrial, commercial or residential purposes;

(k) to regulate the erection of buildings and setting up of industries;

(l) to develop, construct, install, operate, manage and maintain infrastructural facilities for providing specialised services itself or through any other person authorised by the Authority in this behalf;

(m) to resolve disputes of commercial nature between the agencies providing services and consumers thereof within the territorial jurisdiction of the Authority; and

(n) to any other function that may be notified by the Government.

7. The Authority may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise any land or building belonging to the authority in the Taj Economic Zone on such terms and conditions as it may think fit to impose subject to any rules or regulations that may be made under this Act.

Power of the Authority in respect of transfer of land

8.(1) For the purpose of proper planning and development of Taj Economic Zone, the Authority may issue such directions as it may consider necessary, regarding—

Power to issue directions in respect of erection of buildings

- (a) architectural features of the elevation or frontage of any building,
- (b) the alignment of buildings on any site,
- (c) the restrictions and conditions in regard to open spaces to be maintained in and around buildings and height and character of buildings,
- (d) the number of residential buildings that may be erected on any site,
- (e) regulation of erection of shops, workshops, warehouses factories or buildings,
- (f) maintenance of height and position of walls, fences, hedges or any other structure or architectural constructions,
- (g) maintenance of amenities,
- (h) restriction of use of any site for a purpose other than that for which it has been allocated, and
- (i) the means to be provided for proper—
 - (i) drainage of waste water,
 - (ii) disposal of industrial waste, and
 - (iii) disposal of town refuse.

(2) Every transferee shall comply with the direction issued under sub-section (1) and shall as expeditiously as possible erect any building or take such other steps as may be necessary to comply with such directions.

9.(1) No person shall erect or occupy any building in the Taj Economic Zone in contravention of any building regulation made under sub-section (2).

Ban on erection of buildings in contravention of regulations

(2) The Authority may by notification and with the prior approval of the State Government make regulations to regulate the erection of building and such regulations may provide for all or any of the following matters, namely,—

- (a) the materials to be used for external and partition walls, roofs, floors and other parts of a building and their position or location or the method of construction;
- (b) lay out plan of the building whether industrial, commercial or residential;
- (c) the height and slope of the roofs and floors of any building which is intended to be used for residential or cooking purposes;
- (d) the ventilation in, or the space to be left about any building or part thereof to secure circulation of air or for the prevention of fire;
- (e) the number and height of the storeys of any building;
- (f) the means to be provided for the ingress to and egress from any building;
- (g) the minimum dimensions of rooms intended for use as living rooms or sleeping rooms and the provision of ventilation;
- (h) any other matter in furtherance of the proper regulation of erection, completion and occupation of buildings; and
- (i) the certificates necessary and incidental to the submission of plans, amended plans and completion reports.

Power to require proper maintenance of site or building

10. If it appears to the authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in, any part of the Taj Economic Zone or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and measures and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or measures or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or measures or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

Levy of tax

11.(1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenity in the Taj Economic Zone, the Authority may, with the previous approval of the State Government, levy such annual taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the occupier thereof, provided that the total incidence of such taxes shall not exceed one per cent of the market value of such site, or building, as the case may be.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression 'market value' means, the amount of—

(a) consideration, in the case of sale; or

(b) premium, in the case of lease; or

(c) the minimum value determined in accordance with the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997 made under the Indian Stamp Act, 1899,

whichever is more.

(2) If, the State Government considers it necessary or expedient in the public interest it may, by a general or special order, exempt wholly or partly any occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

Provision for infrastructural facilities

12.(1) The Authority may provide any infrastructural facility of its own or may engage a Government or private agency in the manner prescribed for the purposes of providing an infrastructural facility.

(2) Where any infrastructural facility is provided, the Authority shall have the power to levy user-charges for the service so provided.

(3) The rates of the user-charges referred to in sub-section (2) shall be fixed for different categories of the users by the Authority, so however, that it ensures an annual return not exceeding sixteen per cent post-tax return on the capital investment made in providing the infrastructural facility.

(4) The Authority may delegate the power of collection of the user-charges to the agency providing the infrastructural facility.

Explanation—For the purposes of this section:—

(1) the expression "provide" includes development, construction, installation, maintenance and operation of the infrastructural facility;

(2) the expression "post-tax return" means the net return that accrues after payment of the income tax that may be found to be payable on the gross return.

Applications of certain provisions of President's Act 11 of 1973

13. The provisions of Chapter VII and Sections 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, shall *mutatis mutandis* apply to the Authority with the adaptation that—

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act, and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer.

14. Where any transferee makes any default in the payment of any consideration money or instalment thereof or any other amount due on account of the transfer of any site or building by the Authority or any rent due to the Authority in respect of any lease, or where any transferee or occupier makes any default in the payment of any fee or tax levied under this Act, the Chief Executive officer may direct that in addition to the amount of arrears, a further sum not exceeding that amount shall be recovered from the transferee or occupier, as the case may be, by way of penalty.

Imposition of penalty and mode of recovery of arrears

15.(1) In the case of non-payment of consideration money or any instalment thereof on account of the transfer by the Authority of any site or building or in the case of any breach of any condition of such transfer, or breach of any rules or regulations made under this Act, the Chief Executive Officer may resume the site or building so transferred and may further forfeit the whole or any part of the money, if any, paid in respect thereof.

Forfeiture for breach of conditions of transfer

(2) Where the Chief Executive Officer orders resumption of any site or building under sub-section (1) the Collector may on his requisition cause possession thereof to be delivered to him and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

16. Any person who Contravenes any of the provisions of this Act, or rules or regulations made thereunder or any directions issued under section 8, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of continuing offence with further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

Penalty

17. The Chief Executive Officer may authorize any person to enter into or open any land or building with or without assistance, for all or any of the following purposes, namely,—

Powers of entry etc.

(a) to make an inquiry, inspection, measurement or survey or to take levels of such land or building;

(b) to examine works under construction or to ascertain the course of sewers or drains;

(c) to ascertain whether any building is being or has been erected or re-erected without sanction or in contravention of any sanction given under this Act or the rules and regulations made thereunder and to take such measurements and do any such other act as may be necessary for such purpose;

(d) to do any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that—

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, the owner of the land or building ;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable women, if any, to withdraw from such land or building; and

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

18. The area being declared Taj Economic Zone under this Act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any other development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall, with effect from the date of such declaration, be deemed to be excluded from any such plan.

Overriding effect of the Act

Power to make rules

Power to make regulations

19. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

20. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affair of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely,—

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings, and the number of members necessary to form a quorum thereat;

(b) the powers and duties of the Chief Executive Officer;

(c) the form of register of applications for permission to erect a building;

(d) the management of properties of the Authority;

(e) fees to be levied in the discharge of its functions;

(f) charges to be collected by any person for providing any infrastructural facility;

(g) such other matters as are to be provided for in the regulations.

U.P. Ordinance
no. 11 of 2002

21. (1) The Uttar Pradesh Taj Economic Zone Development Authority Ordinance, 2002 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendation of the Economic Development Committee of the Council of Ministers it was decided to make a law to provide for the constitution of an Authority for the Taj Economic Zone with a view to developing certain areas in the State into industrial and urban economic zone.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Taj Economic Zone Development Authority Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 11 of 2002) was promulgated by the Governor on July 4, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 555 राजपत्र (हि०)–(1300)–2002–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 164 सा०विद्या०–(1301)–2002–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।